



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक:- 13.10.2026

संगठित अपराधों पर फतेहपुर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई—चोरी, नकबजनी, डकैती एवं गोवध में संलिप्त 03 गिरोहों के 14 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत, 05 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण— श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर, थाना खखरेरू एवं थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 03 गिरोहों के कुल 14 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। संबंधित थानों पर अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 13.10.2026 को कुल 05 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थानावार गैंगस्टर कार्यवाही एवं आपराधिक गतिविधियों का विवरण—

➤ **1. थाना कोतवाली नगर—चोरी एवं नकबजनी करने वाले गिरोह के 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही, 03 गिरफ्तार।**

दिनांक 12.10.2026 को थाना कोतवाली नगर पर 05 अभियुक्तों के विरुद्ध मु०अ०सं० 498/2026, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया। उक्त गिरोह के सदस्य आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से घरों की रेकी कर निवासियों की अनुपस्थिति में ताले तोड़कर चोरी एवं नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे। उक्त कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 13.10.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दीपक कुमार उर्फ कमल, जगदीश सोनी उर्फ आजाद एवं भास्कर सोनी उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

➤ 2. थाना खखरेरू—राहगीरों को धमकाकर रुपये स्थानांतरित कराने एवं डकैती करने वाले गिरोह के 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 01 गिरफ्तार।

दिनांक 12.10.2026 को थाना खखरेरू पर 05 अभियुक्तों के विरुद्ध मु०अ०सं० 198/2026, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया। उक्त गिरोह के सदस्य अनुचित आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अवैध असलहों के बल पर राहगीरों को रोककर मारपीट करने, डरा-धमकाकर खातों में रुपये स्थानांतरित कराने एवं डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे।

उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उर्फ टेलर को आज दिनांक 13.10.2026 को थाना खखरेरू पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को चचीडा मोड पुलिया के पास कस्बा खखरेरू से गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. थाना जहानाबाद—गोवध एवं गोमांस की बिक्री में संलिप्त गिरोह के 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 01 गिरफ्तार।

दिनांक 13.10.2026 को थाना जहानाबाद पर 04 अभियुक्तों के विरुद्ध मु०अ०सं० 184/2026, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया। उक्त गिरोह के सदस्य अपने तथा गिरोह के सरगना के लिए अनुचित आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित रूप से गोवध करने एवं गोमांस की बिक्री जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पप्पू उर्फ मो० रिजवान को आज दिनांक 13.10.2026 को थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. दीपक कुमार उर्फ कमल पुत्र रामकुमार निवासी नई बस्ती राधानगर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 26 वर्ष।
2. जगदीश सोनी उर्फ आजाद पुत्र राधेकृष्ण सोनी निवासी खुशवक्तराय नगर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 27 वर्ष
3. भास्कर सोनी उर्फ गोलू पुत्र जयनारायन सोनी निवासी गाजीपुर रोड राधानगर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 32 वर्ष
4. धर्मेन्द्र कुमार उर्फ टेलर पुत्र गोवर्धन प्रसाद तिवारी उम्र करीब 29 वर्ष निवासी कुड़ी मोहल्ला थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर
5. पप्पू उर्फ रिजवान पुत्र मो० समी निवासी काजीटोला थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर (एचएस नं० 353 ख थाना जहानाबाद)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

1. अभियुक्त दीपक कुमार उर्फ कमल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 187/2026 धारा 305, 317(2), 317(5), 331(3), 61(2) BNS थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर वाद संख्या 17225/26 सीजेएम फतेहपुर

2. अभियुक्त जगदीश सोनी उर्फ आजाद का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 187/2026 धारा 305, 317(2), 317(5), 331(3), 61(2) BNS थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर वाद संख्या 17225/26 सीजेएम फतेहपुर ।

3. अभियुक्त भास्कर सोनी उर्फ गोलू का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 187/2026 धारा 305, 317(2), 317(5), 331(3), 61(2) BNS थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर वाद संख्या 17225/26 सीजेएम फतेहपुर

2. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 305/317(2)/317(5) बीएनएस थाना राधानगर जनपद फतेहपुर वाद संख्या 10931/26 सीजेएम फतेहपुर

3. मु0अ0सं0 83/2026 धारा 305ए/317(2)/317(5) बीएनएस थाना राधानगर जनपद फतेहपुर वाद संख्या 10930/2026 सीजेएम फतेहपुर ।

4. अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उर्फ टेलर का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 177/25- धारा 126(2)/115(2)/317(3)/310(2)/351(3) BNS व 66 डी आईटी एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खखरेरू

2. मु0अ0सं0 198/2026 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना खखरेरू

5. अभियुक्त पप्पू उर्फ मो0 रिजवान का आपराधिक इतिहास (एचएस नं0 353 ख थाना जहानाबाद)

1. मु0अ0सं0 127/98 धारा 278,290 भादवि थाना जहानाबाद

2. मु0अ0सं0 12/99 धारा 379/504/506 भादवि व 3/8 गोवध नि0 अधि0 थाना जहानाबाद

3. मु0अ0सं0 62/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कल्यानपुर

4. मु0अ0सं0 1524/15 धारा 429 भादवि व 3/5/8 गो0वध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

5. मु0अ0सं0 80/26 धारा 3/5/8 गो0वध नि0 अधि0 व 4/25 आयुध अधि0 थाना जहानाबाद

6. मु0अ0सं0 156/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कल्यानपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. कोतवाली पुलिस टीम (A)

1. निरीक्षक श्री हेमंत कुमार मिश्र थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर मय टीम

2. थाना खखरेरू पुलिस टीम (B)-

1. थानाध्यक्ष श्री सत्यपाल सिंह थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर मय टीम

थाना जहानाबाद पुलिस टीम (C)-

थानाध्यक्ष श्री योगेश कुमार थाना जहानाबाद मय टीम